वे अधिकारी जिनके समक्ष किसी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में कोई स्थान भरने के लिए निर्वाचन के निमित्त कोई अभ्यर्थी शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा

भारत निर्वाचन आयोग, अधिसूचना सं0 3/6/68 (2), तारीख 18 मार्च, 1968-- (1) संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 4 के खण्ड (क) के अनुसरण में तथा अपनी अधिसूचना सं0 3/3/66, तारीख 2 मई, 1967 को अधिक्रांत करते हुए, निर्वाचन आयोग [1][एतद्द्वारा--

(i) संपृक्त रिटर्निंग आफिसर तथा उसके अधीनस्थ समस्त सहायक रिटर्निंग आफिसरों को,

(ii) सभी साम्बलिक प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेटों तथा सभी साम्बलिक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेटों को,

(iii) सभी जिला न्यायाधीशों को तथा किसी राज्य की न्यायिक सेवा के सभी सदस्यों को, जो जिला न्यायाधीशों से भिन्न हों,

ऐसे व्यक्तियों के रूप में प्राधिकृत करता है] जिनमें से किसी के भी समक्ष कोई व्यक्ति, किसी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में किसी स्थान को भरने के लिए निर्वाचन के निमित्त अभ्यर्थी के रूप में (जिसे एतस्मिन्पश्चात् अभ्यर्थी कहा गया है) नामनिर्देशित हो जाने पर, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए हुए प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

(2) पैरा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त धारा 4 के खण्ड (क) के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को भी ऐसे व्यक्ति के रूप में प्राधिकृत करता है जिनके समक्ष अभ्यर्थी शपथ ले सकता है अथवा प्रतिज्ञान कर सकता है तथा उस पर हस्ताक्षर कर सकता है ---

(क) जहां कोई अभ्यर्थी जेल में परिरुद्ध है वहां उस जेल का अधीक्षक ;

(ख) जहां कोई अभ्यर्थी निवारक निरोधाधीन है वहां उस निरोध-शिविर का समादेशक ;

(ग) जहां कोई अभ्यर्थी बीमारी के कारण अथवा किसी अन्य कारण से किसी अस्पताल में या किसी अन्य स्थान पर परिरुद्ध है या शय्या पर पड़ा है वहां उस अस्पताल का भारसाधक चिकित्सा अधीक्षक या उसकी परिचर्या करने वाला चिकित्सक ;

(घ) जहां कोई अभ्यर्थी भारत से बाहर है वहां उस देश में, जिसमें अभ्यर्थी है, भारत का राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि या ऐसे राजनयिक अथवा कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य कोई व्यक्ति ;

(ङ) जहां कोई अभ्यर्थी किसी अन्य कारण से यथापूर्वोक्त सम्पृक्त रिटर्निंग आफिसर अथवा सहायक रिटर्निंग आफिसर के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है अथवा उपस्थित होने से निवारित हो गया है वहां इस निमित्त निर्वाचन आयोग को आवेदन करने पर उसके द्वारा नामनिर्देशित अन्य कोई व्यक्ति ।

स्पष्टीकरण--इस अधिसूचना में---

(1) "संपृक्त रिटर्निंग आफिसर" पद से उस सभा निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर अभिप्रेत है जहां से विधान सभा में किसी स्थान को भरने के लिए निर्वाचन के निमित्त किसी व्यक्ति को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित किया गया है ।

[2][(1क) "जिला न्यायाधीश" तथा "न्यायिक सेवा" पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 236 में समनुदिष्ट है,] तथा

(2) "सभा निर्वाचन-क्षेत्र" पद का वही अर्थ होगा जो उसे संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में समनुदिष्ट है ।

---

[1] अधिसूचना सं0 3/6/68 (2), तारीख 25-10-1968 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 3/6/68 (2), तारीख 25-10-1968 द्वारा अंतःस्थापित ।